

अध्याय – 6

भूमि का अधिग्रहण

रिहायशी संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अपने नाम में अथवा अपनी पत्नी के नाम में अथवा नाबालिक बच्चे के नाम में एक से ज्यादा रिहायशी प्लॉट/घर अधिगृहित करने की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त प्रतिबंध रिहायशी संपत्ति के अलावा किसी अन्य भूमि पर लागू नहीं होगा।

बेनामी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।

वाणिज्यिक क्षेत्र में रिहायशी फ्लैट का मालिक कोई भी व्यक्ति किसी रिहायशी क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड/फ्लैट ले सकता है।